रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022021-225384 CG-DL-E-23022021-225384

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] No. 91] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 2021/फाल्गुन 4, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 2021/PHALGUNA 4, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2021

सं. 03/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 132(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 17/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 200(अ) तारीख 23 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित की गई थी, को सिवाय ऐसी बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो, —

- (क) भारत का नागिरक नहीं है ; या
- (ख)केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्थापना ; या
- (ग) स्थानीय प्राधिकारी ; या

1151 GI/2021 (1)

- (घ) कानूनी निकाय ; या
- (ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ; या
- (च) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/02/2020-जीएसटी] राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February,2021

No 03/2021-Central Tax

- G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 17/2020-Central Tax, dated the 23rd March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 200(E), dated the 23rd March, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of section 25 of the said Act shall not apply to a person who is,—
 - (a) not a citizen of India; or
 - (b) a Department or establishment of the Central Government or State Government; or
 - (c) a local authority; or
 - (d) a statutory body; or
 - (e) a Public Sector Undertaking; or
 - (f) a person applying for registration under the provisions of sub-section (9) of section 25 of the said Act.

[F. No. CBEC-20/06/02/2020-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.